



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243702
CG-DL-E-17022023-243702

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944

No. 713]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 743(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 217(E) दिनांक 13.01.2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में NH151A के कि.मी. 0 से कि.मी.242.9 (द्वारका-खंभाळीया-देवरीया & धोल-आमरण-माळीया) तक के सड़क खंड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख "21.01.2023" को "गुजरात समाचार" और "ध टाइम्स ओफ इन्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में NH151A के कि.मी. 0 से कि.मी. 242.9 (द्वारका-खंभाळीया-देवरीया & ध्रोल-आमरण-माळीया) तक के सड़क खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: देवभूमि द्वारका			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कल्याणपुर				
	गांव का नाम: भाटिया				
1	136	निजी	कृषि	0.2352	काना देवात आहीर, धरणात देवात आहीर ()
			कुल	0.2352	

[फा. सं. NHAI/11011/Gujarat/Devbhumi Dwarka/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023

S.O. 743(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O no. 217(E) dated 13.01.2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH151A on the stretch of land from Km 0 to Km 242.9 (Dwarka-Khambhaliya-Devariya & Dhrol-Amran-Maliya) road section in the district of DEVBHUMI DWARKA in the state of GUJARAT ;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Gujarat Samachar” and “The Times of India” both dated 21.01.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH151A in the stretch of land from Km 0 to Km 242.9 (Dwarka-Khambhaliya-Devariya & Dhrol-Amran-Maliya) road section in the district of DEVBHUMI DWARKA in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: DEVBHUMI DWARKA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kalyanpur				
	Village: Bhatiya				
1	136	Private	Agriculture	0.2352	Kana Devat Ahir, Dharnat Devat Ahir
			TOTAL	0.2352	

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Devbhumi Dwarka/3D]

RAJESH GUPTA, Director